	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या : 107/2020 लक्ष्मणराम वगैरह बनाम राजकुमार वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
021	पत्रावली प्रार्थना पत्र अ.धा. 107 जा.दी. के आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान नजीर RRT 2009(2) 1309 की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा कथन किया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 3610, 3613, 3614, 3615 कुल रकबा 4.39 हैक्टर कस्बा झुंझुनू में स्थित है। उक्त जमीन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता प्रताप पुत्र घीसा का 1/3 हक हिस्सा था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 4118 दिनांक 27.12.2019 को प्रताप की जगह रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 5 के हक में बहिस्सा बराबर स्वीकृत किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलान्टस द्वारा अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 4118 विरासतन दर्ज किया गया है जिसमें अपीलान्टस पक्षकार नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 4118 के कॉलम संख्या 6 में काश्तकार का नाम 1. प्रताप पुत्र घीसा हिस्सा 1/3 जाति माली सा देह खातेदार तथा बदस्तूर काश्तकार अंकित है। बदस्तूर काश्तकार के अंकन से उनका प्रताप हिस्से की भूमि में हक नहीं है। ऐसे में अपीलान्टस उक्त नामान्तकरण से प्रभावित नहीं है। अपीलान्टस को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. का प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्टस द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की है, जिससे अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट 1 का प्रार्थना पत्र अ.धा. 107 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। अप्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस के दौरान नजीर 2014(3) DNJ(Raj) 857, 2011(2) RLW (R.J.) 1164(S.C.) की ओर ध्यान आकर्षित किया जबाब में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि बाहमी बटवारा के अनुसार अपीलाधीन विवादित जमीन में रेस्पोडेन्टस 1 से 5 की कोई जमीन नहीं है बल्कि अन्य जमीन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता प्रताप के हिस्से में आई थी, जो रेस्पोडेन्टस 1 से 5 ने विक्रय कर दी। उक्त जमीन की बाबत दावा नम्बर 158/2019 सक्षम न्यायालय में लम्बित है तथा दौराने दावा नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रताप का देहान्त सन् 1982 में हो गया था। उक्त प्रताप का विवादित जमीन पर कब्जा नहीं था, प्रताप के हिस्से में दूसरी जमीन आई थी। न प्रताप के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का इस जमीन पर कब्जा काश्त है। यही कारण रहा कि सन् 1982 से लेकर सन् 2019 तक 38 साल की लम्बी अवधि के दौरान इन्तकाल की कार्यवाही नहीं की गई तथा दावा प्रस्तुत करने के बाद बाला – बाला नामान्तरकरण जैर बहस नम्बर 4118 के तस्दीक किये जाने की कागजी कार्यवाही बिना भौतिक कब्जे की जांच किये गलत की गई। अपीलान्टस विवादित जमीन के सहखातेदार दर्ज है। प्रताप के नाम से दर्ज 1/3 हिस्से की जमीन का नामान्तरकरण उसके वारिसान रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 5 के नाम से दर्ज किये जाने के बाद उसके नीचे शेष बदस्तूर काश्तकार दर्ज है। प्रताप के नाम से दर्ज 1/3 हिस्से की जमीन पर अपीलान्टस का कब्जा काश्त है, इसलिए नामान्तरकरण की कार्यवाही से अपीलान्टस के हित प्रभावित होते है। उक्त परिस्थितियों में धारा 96 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण की सुनवाई में देरी करने की मंशा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो खारिज योग्य है। प्रस्तुत नजीरों के अनुसार प्रकरण का निस्तारण मैरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अ.धा. 107 जा.दी. खारिज फरमाया जावें।	

जिला कलक्टर झुन्झुनू

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। अदालत मातहत का द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है। अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट 1–6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ.धा. 107 जा.दी. खारिज फरमाया जावें।

हमने वकील पक्षकरान की बहस पर मनन किया, प्रस्तुत नजीरों तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। प्रकरण का विश्लेषण करने पर निम्न तथ्य उजागर हुये है। यथा :–

1. प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस का तर्क यहां यह रहा है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 4118 विरासतन दर्ज किया गया है जिसमें अपीलान्टस पक्षकार नहीं है। बदस्तूर काश्तकार के अंकन से उनका प्रताप हिस्से की भूमि में हक नहीं है। अपीलान्टस को अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. का प्रस्तुत करना चाहिए था। अपने तर्को के समर्थन प्रार्थी /रेस्पोडेन्ट ने नजीर RRT 2009(2) 1309 प्रस्तुत की जिसके अनुसार " राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 90(बी)(7)– आदेश दिनांक 25.05.2004 की नकल पेश नहीं की और आदेशिका दर्शाती है कि यह आदेश नहीं था और चुनौती हेतु योग्य नहीं था – किसी भी किस्म का औपचारिक स्पीकिंग आदेश नहीं – अति. संभागीय आयुक्त ने कोई आवेदन निर्णीत नहीं किया – अप्रार्थी नम्बर 1 ने तीन आवेदन पेश किये – अप्रार्थी नम्बर 1 यू.आई.टी. के समक्ष पक्षकार नहीं थी – इसलिए धारा 96 के अन्तर्गत आवेदन निर्णीत करना आवश्यक था – मेरिट पर अपील निर्णीत करने के पूर्व धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन निर्णीत करना आज्ञापक था – निर्णीतए आदेश अपास्त किया। "
2. नामान्तकरण संख्या 4118 दिनांक 27.12.2019 काश्तकार प्रताप के देहान्त होने पर उसके हिस्से की भूमि 1/3 की बाबत उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण जिस भूमि बाबत तस्दीक किया गया है अपीलान्टस उस आराजी में सहकाश्तकार है तथा नामान्तकरण के कॉलम संख्या 6 (विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम) में प्रताप पुत्र घीसा हिस्सा 1/3 जाति माली सा. देह खातेदार तथा बदस्तूर काश्तकार का अंकन है। यहां यह तथ्य स्वीकार्य है कि वह विवादित आराजी में अपीलान्टस सहकाश्तकार है तथा नामान्तरकरण में बदस्तुर काश्तकार का अंकन है परन्तु नामान्तरकरण विरासतन नामान्तरकरण है जो एक सहकाश्तकार के देहान्त होने पर उसके वारिसान के नाम से तस्दीक किया गया है। ऐसे में अप्रार्थी/अपीलान्टस को दर्ज नामान्तरकरण में प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है।
3. अप्रार्थी/अपीलान्टस का तर्क है कि जिस भूमि की बाबत अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है उस भूमि में वह सहकाश्तकार है तथा उक्त आराजी के संबंध में उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के यहां वाद संख्या 158/2019 उनवानी लक्षमणराम वगै. बनाम राजकुमार वगै. दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। अप्रार्थी/अपीलान्ट दर्ज नामान्तरकरण से प्रभावित है ऐसे में अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण का निस्तारण पूर्ण सुनवाई के बाद किया जाना चाहिए अपने तर्को के समर्थन में अप्रार्थी /अपीलान्टस द्वारा नजीर RLW (R.J.) 1164(S.C.) प्रस्तुत की, जिसके अनुसार " C.P.C., Sec. 96 – First appeal – Scope – While setting aside the judgment and decree of trial court without properly examining the facts and law, allowing first appeal u/s 96Cr.P.C. – Held – The first appeal is a valuable right of the appellant and therein all questions of fact and law

A2/6

decided by trial Court are open for reconsideration – The High Court needs to decide questions of fact and law comprehensively by giving full dressed hearing – Impugned judgment set aside – Matter remitted for deciding afresh – Directed to maintain status quo. ''

4. अप्रार्थी/अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण के गुणावगुण के निस्तारण के संबंध में है उक्त तथ्यों से यहां यह साफ है कि अपीलान्ट को अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अपील की स्वीकृति ली जानी चाहिए थी। अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने से पहले उसकी विधिक प्रावधानों के तहत पोषणीयता पर विचार करना आवश्यक है। अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अपील अपीलान्ट विधिक अनुरूप नहीं होने से संधार्य नहीं है।
5. उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ.धा. 107 जा.दी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट निरस्त कि जाती है। आदेश की प्रति अदालत मातहत को मय रिकार्ड के प्रेषित हो।
6. पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर् हो।

आदेश आज दिनांक 27.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू
27/12/21